वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 10.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, आज, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 10.07.2024

विवेकानंदपुरम कालोनी में छह मंजिला होटल सील

वीडीए ने मुगलसराय में चार अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई, जोनल अधिकारी से मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए, नोटिस संग ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होने के बाद भी कई भवन स्वामी अवैध निर्माण करते रहे। होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज लान, कांप्लेक्स बना रहे हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा निकले तो कर्मचारियों सच्चाई सामने आ गई। ज्यादातर स्थानों पर अवैध निर्माण में कर्मचारियों की संलिप्तता मिली और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वीडीए सचिव ने जोनल अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है जिससे कार्रवाई के लिए उपाध्यक्ष को भेजा जा सके। मुगलसराय में वीडीए सचिव, खुद खड़े होकर अवैध निर्माण सील करवाया। साथ ही क्षेत्रीय कर्मचारियों से जवाब-तलब किया।

वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा की मौजूदगी में मुगलसराय वार्ड के करवत में बबलू जायसवाल, बेचूपुर,

विवेकानंदपुरम कालोनी में सीलकिया गया छह मंजिला होटल • जागरण

सुभाष पार्क के पास चितरंजन लाल विश्वकर्मा, दुलहीपुर बेसमेंट के अलावा पांच मंजिल मनोज यादव अवैध निर्माण कर रहे थे। इन सभी निर्माणों को सील कर दिया गया। इसके अलावा महावलपुर में खुशबू यादव का आनलाइन मानचित्र स्वीकृत था लेकिन उसके विपरीत निर्माण किया गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है। जोन चार की टीम ने सुसवाही के

- ज्यादातर स्थानों पर अवैध निर्माण में कर्मचारियों की मिली संलिप्तता
- भवन स्वामी को चेतावनी, सील तोड़ने पर दर्ज कराया जाएगा मुकदमा

विवेकानंदपुरम कालोनी में बड़ी कार्रवाई की। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने बताया कि विवेकानंदपुरम कालोनी में राजेश जायसवाल के भवन पर नोटिस जारी करने के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित है लेकिन मनमानी तरीके से छह मंजिल अवैध निर्माण कर 45 कमरे का होटल बनाया जा रहा था। होटल का जल्द ही उद्घाटन होने वाला था। सील टीम पहुंची तो वहां मौजूद लोग विरोध करने लगे।

पुलिस के सहयोग से अंदर रहने वालों को बाहर कर पूरे होटल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। इसी वार्ड में हैदराबाद गेट पर हरिश्चंद्र पटेल उर्फ बबलू तीन मंजिल, गणेशपुरी कालोनी हैदराबाद गेट पर मनोज कुमार राय भूतल, अनिल सिंह दो मंजिल व संजय राय भूतल पर निर्माण कर रहे थे। होटल समेत पांच अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। अवर अभियंता आरके सिंह ने बताया कि सील तोड़ने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कर्मचारी को सील भवनों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

45 बीघा अवैध प्लाटिंग पर गरजा वीडीए का बुलडोजर

वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। वीडीए का बुलडोजर गरजा पांच सौ से अधिक बाउंड्री को तोड़ दिया। वीडीए के संयुक्त सचिव परमानंद यादव के नेतृत्व में टीम मुगलसराय पहुंची। रामनगर वार्ड के मुगलसराय नाथपुर (चंदौली) में बिना ले-आउट पास कराए 15 बीघा, कटेसर में 10 व पांच बीघा में अवैध प्लाटिंग हो रही थी। यहां कुल 30 बीघा अवैध प्लाटिंग की बाउंड्री तोड़ी गई। टीम में जोनल अधिकारी प्रकाश, अवर अभियंता पीएन दुबे आदि थे। सारनाथ वार्ड में जोनल अधिकारी संजीव कुमार व अवर अभियंता जेपी गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने मिल्कीपुर व शंकरपुर में बिना ले-आउट पास कराए कुंदन सिंह व स्वतंत्र मिश्रा के पांच बीघा अवैध प्लाटिंग की बाउंड्री को तोड दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया लेकिन टीम के आगे एक नहीं चली। दशाश्वमेध वार्ड के रोहनिया दरेखू मे 10 बीघा अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से तोड़ दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 10.07.2024

वीडीए सचिव ने करौंदी में खाली कराया होटल, कई मकान भी सील, 35 बीघा में प्लॉटिंग ध्वस्त

कार्रवाई

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। कमिश्नर कौशलराज शर्मा ने पिछले दिनों वीडीए बोर्ड की बैठक में गंभीर नाराजगी क्या जताई, शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में हुए अवैध निर्माण उजागर होते जा रहे हैं। इनमें कई मंजिला ऐसे भी भवन और व्यावसायिक इमारते हैं जिनके निर्माण के दौरान वीडीए के भवन निरीक्षक से लेकर जेई-एई और जोनल अधिकारियों तक ने आंखें मूंद रखी थीं। (बताने की जरूरत नहीं कि वीडीए के अधिकारी कब और कैसे अपनी आंखें मूंद लेते हैं)। अब कमिश्नर की फटकार के बाद आंखें खुली हैं तो सभी एक्शन मोड में दिख रहे हैं।

मंगलवार को वीडीए के सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में करौंदी की विवेकानंदपुरम कॉलोनी में पांच मंजिला होटल सील करा दिया गया। अवैध करार दिया गया यह होटल पिछले कई माह से संचालित हो रहा था। उसे बनने में भी छह माह लगे थे। टीम ने होटल खाली कराने के बाद सीलिंग की कार्रवाई की। वीडीए सचिव ने दुल्हीपुर, मुगलसराय में बेचूपूर, करवत में भी चार अवैध निर्माण सील करवाए। दुल्हीपुर में चार मंजिला (150 गुणे 40 वर्गफीट), बेचूपुर में (सुभाष पार्क के पास), डांडी (करवत) में 20 गुणे 70 वर्गफीट, बेचूपुर में में दो आराजी संख्या पर अवैध निर्माण कराए जा रहे थे।

सारनाथ से सुसवाही तक कार्रवाई : सारनाथ वार्ड के मिल्कोपुर, शंकरपुर में बिना ले-आउट पांच बीघा में हुई अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई। यहां वीडीए ने अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड भी लगाया है।

दरेखू में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए 10 बीघा क्षेत्रफल में हुई अवैध प्लाटिंग ध्वस्त हुई। नगवां वार्ड के सुसुवाही में 20 गुणे 80 वर्गफीट में बना दो मंजिला भवन, गणेशपुरी कॉलोनी में 30 गुणे 60 फीट में ग्राउंड फ्लोर पर निर्माण के अलावा दो मंजिला मकान भी सील किए गए। गणेशपुरी में ही 20 गुणे 40 वर्गफीट में अवैध निर्माण सील हुआ।

करौंदी की विवेकानंद कॉलोनी में बने पांच मंजिला होटल को मंगलवार को वीडीए ने सील किया।

वीडीए से ही स्वीकृत कराएं नक्शा

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया आसान की गई है। लोगों को सीधे वीडीए से संपर्क करके मानचित्र स्वीकृत कराना चाहिए।

अमर उजाला–दि0 10.07.2024

45 बीघे की 5 प्लॉटिंग तोड़ी, नौ अवैध निर्माण सील

वाराणसी। अवैध निर्माणों पर एक बार फिर वीडीए ने बुलडोजर चलाया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अगुवाई में मंगलवार को कई जगहों पर अभियान चलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में सारनाथ, रामनगर, दशाश्वमेध वार्डों में 45 बीघे की पांच अवैध प्लॉटिंग बुलडोजर से ध्वस्त करवाई गई। 9 अवैध निर्माणों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। वीडीए सचिव ने मुगलसराय वार्ड में अवैध निर्माण होने पर संबंधित जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार और अवर अभियंता विजय सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया। फील्ड स्टाफ नंदलाल को आरोपपत्र जारी किया गया। वीडीए उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की कि वीडीए से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, नहीं तो प्राधिकरण की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने मुगलसराय वार्ड केडांडी, महावलपुर, बेचूपुर का निरीक्षण किया। दुलहीपुर के मनोज यादव, बेचूपुर के चितरंजन लाल विश्वकर्मा, डांडी करवत के बबलू जायसवाल, बेचूपुर की राखी जैन के अवैध निर्माण को सील किया। ब्यूरो

वीडीए ने सील की बिल्डिंग। स्वयं

राष्ट्रीय सहारा–दि0 10.07.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई

अलग-अलग स्थानों पर 45 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

वाराणसी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा मंगलवार को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इसी क्रम में थाना चौबेपुर के वार्ड सारनाथ के मिल्कोपुर, शंकरपुर में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये कुन्दन सिंह व स्वतंत्र मिश्रा द्वारा लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। जिसे प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया तथा स्थल पर अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता जय प्रकाश गुप्ता, विनोद कुमार व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा रोहनिया थाना क्षेत्र के दशाश्वमेध वार्ड के मौजा दरेखू, में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए रीता दुबे द्वारा लगभग 10 बीघा छेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। टीम द्वारा उसे ध्वस्त कराया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियन्ता अशोक त्यागी व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा मुगलसराय थाना क्षेत्र के वार्ड रामनगर मौजा-नाथूपुर चन्दौली में अज्ञात प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 15 बीघा, तथा कटेसर में लगभग 10 बीघा व 5 बीघा (लगभग 30 बीघा) में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। जिसे प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया तथा स्थल पर अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गया। मौके पर संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता पीएन दूबे व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष ने आम जन मानस से अपील की है कि मानिचत्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें।

आज–दि0 10.07.2024

होटल सहित आधा दर्जन स्थानों पर निर्माण सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर मंगलवार को हैदराबाद गेट में हरिश्चन्द्र पटेल ने गणेशपुरी कालोनी में बिना अनुमति के भवन निर्माण करा रहे थे। इसी प्रकार गणेशपुरी कालोनी हैदराबाद के समिप अनिल सिंह भवन का निर्माण करा रहे थे। वहीं पर हैदराबाद गेट के आगे सुसवाही रोड पर संजय राय निर्माण कार्य करा रहे थे। जबकि विवेकानन्दपुरी कालोनी में राजेश जायसवाल होटल का निर्माण करा रहे थे। मौके पर पहुंचे विप्रा के टीम ने जब उनसे होटल निर्माण के लिए मानचित्र मांगा तो उन्होंने आना काना की,जिसके बाद इन सभी आवासों और होटल पर सील कर दिया गया और अवर अभियंता ने निकटतम थाने में भवन स्वामियों के व्यक्तिगत नाम से निर्माण कार्य को थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया। काररवाई में जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आरके सिंह, प्रवर्तदल के अधिकारी के अलावा विकास प्राधिकरण रक्षक और स्थनीय पुलिस मौजूद थी।

आज–दि0 10.07.2024

४५ बीघा जमीन पर चली जेसीबी

मंडलायुक्त एवं विप्रा के अध्यक्ष कौशल राज शर्मा के निर्देश को देखते हुए विप्रा उपाध्यक्ष और सचिव दोनों ही विभिन्न क्षेत्रों में अवैध मकानों, प्लाटिंग के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिये हैं। यहां तक की उपाध्यक्ष और सचिव खुद सड़क पर उतरकर विभाग के अभियंताओं की सच्चाई को देख रहे हैं। मंगलवार को सारनाथ वार्ड में चौबेपुर के मिल्कोपुर, शंकरपुर में बिना ले आऊट स्वीकृति के पांच बीघा जमीन पर प्लाटिंग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर विप्रा की टीम पहुंची और प्लाटिंग कर रहे निर्माण कार्य को जेसीबी की मदद से ध्वस्त करा दिया। इसी प्रकार रामनगर मौजा-नाथूपुर जिला चंदौली में १५ बीघा और चंदौली में १० बिग्घा और कटेसर में पांच बीघा जमीन पर अलग-अलग प्लाटिंग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर विप्रा अभियंताओं की टीम पहुंची और कास्टकार से विभाग की अनुमति मांगी जिसे वह दिखाने में असमर्थ रहा। मौके पर मौजूद संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता पीएन दूबे, प्रवर्तन दल के सुपरवाइजर, स्थानीय थाने की पुलिस के अलावा जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता जय प्रकाश गुप्त और विनोद कुमार ने बिना स्वीकृति के प्लाटिंग पर निर्माण करा रहे दिवाल को जेसीबी की मदद से ध्वस्त करा दिया और कास्तकारों को कड़ी चेतावनी दी। दशाश्वमेध वार्ड के तहत थाना रोहनिया मौजा-दरेखु में बिना ले आऊट स्वीकृत कराये कास्टकार ने दस बिग्घा जमीन पर प्लाटिंग करा रहा था। जानकारी के आधार पर विप्रा टीम ने मंगलवार को पुलिस बल के साथ प्लाटिंग पर पहुंची और किये गये निर्माण को ध्वस्त करा दिया। मौके पर साईन बोर्ड भी लगाया जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना ले आऊट स्वीकृति के जमीनों पर हो रही प्लाटिंग का क्रय-विक्रय न किया जाय। मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता अशोक त्यागी, प्रवर्तन दल के सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद थी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 10.07.2024

वाविप्रा की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 5 अवैध निर्माणों के विरूद्ध की गई सीलबन्दी की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 5 अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड- नगवां के अन्तर्गत हैदराबाद गेट से सुषवाही रोड पर श्री हरिश्चंद्र पटेल उर्फ बबलू द्वारा लगभग 20ˇ 80 फीट में किए जा रहे जी ऊ2 के अनधिकृत निर्माण कार्य, गणेशपुरी कॉलोनी हैदराबाद गेट सुषवाही रोड पर श्री मनोज कुमार राय द्वारा लगभग 30ˇ 60 फीट में किए जा रहे भूतल के अनधिकृत निर्माण, गणेशपुरी कॉलोनी हैदराबाद गेट सुषवाही रोड पर श्री अनिल सिंह द्वारा लगभग 30ˇ 60 फीट में किए जा रहे ऊ1 के अनधिकृत निर्माण, गणेशपुरी कॉलोनी हैदराबाद गेट सुषवाही रोड पर श्री संजय राय द्वारा लगभग 20ˇ 40 फीट में किए जा रहे भूतल के अनधिकृत निर्माण,श्री राजेश जायसवाल द्वारा विवेकानंद पुरम कॉलोनी में निर्मित ऊ 5 के होटल निर्माण को खाली करते हुए अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(ग) व 28 (ग) के अन्तर्गत उक्त अनधिकृत निर्माण को सील कर तथा पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर भियन्ता आर0 के0 सिंह मौजूद रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 10.07.2024

वाविप्रा द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध किया गया ध्वस्तीकरण

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा 9 जुलााई को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी इसके तहत प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-रामनगर, थाना-मुगलसराय , मौजा-नाथूपुर, जिला-चन्दौली में अज्ञात प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 15 बीघा, मौजा-नाथूपुर, जिला-चन्दौली में लगभग 10 बीघा तथा मौजा-कटेसर, जिला-चन्दौली में लगभग 05 बीघा छेत्रफाल पर, 'कुल लगभग 30 बीघा' में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 09 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया तथा स्थल पर अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गयात मौके पर संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता श्री पी0एन0 दूबे व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।इसी क्रम में प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-सारनाथ, थाना-चौबेपुर, मिल्कोपुर, शंकरपुर में बिना ले-आउट स्वीकृत कराये कुन्दन सिंह व स्वतंत्र मिश्रा द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 09 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया तथा स्थल पर अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गयात मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जय प्रकाश गुप्ता व श्री विनोद कुमार व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।इसके अतिरिक्त प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड-दशाश्वमेध, थाना-रोहनिया , मौजा-दरेखु, में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए रीता दुबे द्वारा लगभग 10 बीघा छेत्रफाल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 09 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया तथा स्थल पर अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, अवर अभियन्ता श्री अशोक त्यागी व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।।

न्यायाधीश–दि0 10.07.2024

वाविप्रा द्वारा अनाधिकृत निर्माण किया गया सील

वाराणसी।वाविप्रा सचिव द्वारा अधोहस्ताक्षरी मे वार्ड-मुगलसराय, थाना-मुगलसराय के अन्तर्गत बबलू जायसवाल, मौजा-डाण्डी, करवत, थाना-मुगलसराय, वार्ड-मुगलसराय में 2070 वर्गफीट में अनाधिकृत रूप से किये गए निर्माण, चितरंजन लाल विश्वकर्मा, मौजा-बेचूपुर, सुभाष पार्क के पास, वार्ड-मुगलसराय में अनाधिकृत रूप से निर्माण, खूशबू यादव पुत्री मनोज यादव द्वारा मौजा महावलपुर, परगना-राल्हूपुर जिला-चन्दौली पर आनलाईन नक्शा र्स्व20190219233838697 स्वीकृत है। तथा मनोज यादव मौजा-दुलहीपुर वार्ड-मुगलसराय द्वारा लगभग 150'× 40' के क्षेत्रफल में बी+जी+4 तल का निर्माण, राखी जैन पुत्र अजय जैन द्वारा आ0नं0-19/5 व 20/9 मौजा-बेचुपुर, पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को तत्काल ही सील कराया गया।सील के दौरान जोनल अधिकारी श्री प्रकाश व अवर अभियन्ता श्री पी0,एन0 दुबे0 एवं प्रवर्तन टीम के फील्ड स्टाफ आदि उपस्थित थे।सचिव द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 10.07.2024

ध्वस्त करायी गयी अवैध प्लाटिंग

वाराणसी। प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड–सारनाथ, थाना–चौबेपुर, मिल्कोपुर, शंकरपुर में बिना ले–आउट स्वीकृत कराये कुन्दन सिंह व स्वतंत्र मिश्रा द्वारा लगभग 05 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 09 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया तथा स्थल पर अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री जय प्रकाश गुप्ता व श्री विनोद कुमार व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले0आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी। वही दुसरी तरफ प्राधिकरण क्षेत्र के वार्ड–रामनगर, थाना–मुगलसराय , मौजा–नाथूपुर, जिला–चन्दौली में अज्ञात प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा बिना ले–आउट स्वीकृत कराए लगभग 15 बीघा, मौजा–नाथूपुर, जिला–चन्दौली में लगभग 10 बीघा तथा मौजा–कटेसर, जिला–चन्दौली में लगभग 05 बीघा छेत्रफाल पर, कुल लगभग 30 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लाटिंग को आज 09 जुलाई 2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कराया गया तथा स्थल पर अवैध प्लॉटिंग का साइन बोर्ड लगाया गया मौके पर संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता श्री पी0एन0 दूबे व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।